"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 सितम्बर 2002—भाद्र 13, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/78/2002/वा.कर/पांच (97).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की अनुसूची दो के भाग पांच की प्रविष्टि 48 की अपेक्षानुसार राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-45-2000-विक-पांच (75), दिनांक 28-9-2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना में मालों की सूची में सरल क्रमांक 168 के बाद निम्न जोड़े जायेंगे :—

169. सर्पगंधा
170. इमली बीज
171. मोम
172. शहद
173. चिरोंजी
174. महुआ फूल
175. महुआ बीज

176. नागर मोथा
177. काला दाना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10/78/2002/वा.कर/पांच (97).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/78/2002/वा.कर/पांच (97), दिनांक 4-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 4th September 2002

NOTIFICATION

No. F-10/78/2002/CT /V (97).—In pursuance of the requirement made in Entry 48 of part V of Schedule II of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government, hereby, amends this department's Notification No. A-3-45-2000-ST-V (75), dt. 28-9-2000, as given below :—

AMENDMENT

In the list of goods in the Notification after Serial No. 168 following shall be added :—

169. Sarpagandha
170. Tamarind Seed
171. Wax
172. Honey
173. Chironji
174. Mahua flower
175. Mahua Seed
176. Nagar Motha
177. Kala Dana

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.